

रूपनगाढ़ १५००

19-5-23 प्राणी द्वारा पत्रावली तलब कर विद्रा करने बाबत
प्राथना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी।
प्राणी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील प्राणी
द्वारा की गयी। प्रस्तुत प्राथना-पत्र अनुसार प्राणी
उक्त प्राथना-पत्र को शीघ्र चलाना नहीं चाहता।



From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

..... नन्द्या

बनाम गोगा

किस्म मुकदमा :- 212 R.T. Act

नंबर ... 42 ... वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>चूंकि मूलवाद को बिड़ा करने से म्बारिज किया जा चुका है, इस कारण इकर प्रकरण में कौरी कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र म्बारिज किया जाता है</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो</p> <p>19.5.23 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>नन्द्या पत्रावली शु. नं.</p>